वर्तमान परिवेश एवं परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका–एक अध्ययन

*डॉ. श्रीमती कल्पना उपाध्याय **डॉ. ए.के. उपाध्याय

भारतीय संविधान में एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायलिका की स्थापना की गई है। न्यायापालिका की स्वतंत्रता का आशय कार्यपालिका व व्यवस्थापिका से मुक्त रहना है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को नागरिको के मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की व्याख्या, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण तथा संघात्मक भाासन की रक्षा की दायित्व सौंपा है जो कि हमारी न्याय व्यवस्था में शिखर पर स्थित है। जिसकी व्यवस्था संविधान के अनु. 124 में की गई थी।

भारतीय संविधान के अनु. 131 में न्यायपालिका को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार तथा 251 व 259 में न्यायिक पुनरालोकन की शक्ति प्रदान की गई है ।

सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान लागू के बाद से 1950 से 1967 तक बिना किसी बाधा के न्यायिक भाक्ति का प्रयोग किया, किंतु पहली बार 1967 में गोलकनाथ प्रकरण को लेकर संसद के संविधान संशोधन संबंधी अधिकारों के संबंध में विवाद उठ खड़ा हुआ। इस विवाद में मुख्य प्रश्न यह था कि क्या संसद को संविधान कि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के संबंध में संशोधन करने का अधिकार है। 1967 के ''गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य'' के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संसद नागरिकों के मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती इससे न्यायपालिका व कार्यपालिका ने सामने संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि कार्यपालिका ने अपनी सामाजिक और आर्थिक नीतियों को कार्य रूप देने के रास्तें में इस निर्णय को एक बाधा माना। दूसरी ओर संसद ने इसे अपने वैधानिक अधिकार में एक चुनौती माना। अतः संविधान में 24 वां संशोधन किया गया, और संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई ।

19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करके बैठक 14 बैंको का राष्ट्रीयकरण कर दिया । इस अध्यादेश के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 1970 को राष्ट्रपति के अध्यादेश को रद्द कर दिया । अतः संविधान में 25 वां संशोधन किया गया।

1970 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया । राजाओं ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी। न्यायलय ने राष्ट्रपति के इस आदेश को भी अमान्य कर दिया। श्रीमती गांधी की सरकार ने इस निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान में 26 वाँ संशोधन किया, और राजाओं के प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया। इसमें कहा गया कि ''यदि सरकार राज्य के नीति–निर्देशक (भाग–4) तत्वों का पालन करते हुए, यदि मौलिक अधिकारों (भाग–3) का अपहरण करती है, तो उसे न्यायलय में चुनौती नहीं दी जा सकती।''

केशवानंद भारती के मामले में 24, 25, 26 और 38 में संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायलय ने यह निर्णय दिया कि ये संविधान वैध है, और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।

25 जून, 1975 को राश्ट्रपति ने अनु. 352 के आधार पर आतंरिक आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल के समय ही इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को (1971) भ्रष्ट आचरण के आधार पर 1975 में शून्य घोषित कर दिया। फलस्वरूप संसद ने 39 वें संशोधन 1975 पास किया। इस संशोधन में मुख्य बात यह थी इसने उच्च न्यायलय के निर्णय को शून्य करके श्रीमती गांधी के चुनाव को वैध घोषित किया।

1977 में न्यायपालिका के सामने बड़े पैमाने पर अनेक समस्याएं सामने आयी जैसे – मैंनका गांधी का मामला, मिनर्वा मिल्स का मामला, विशेष न्यायलयों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायलय से परामर्श लेना, नौ राज्यों की विधानसभा भंग किये जाने के संबंध में न्यायलय का निर्णय इत्यादि मामले न्यायलय के सामने आये। उच्चतम न्यायलय ने अपने निर्णयों में स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान में दिये गये मौलिक आधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को सजग व कियाशील भूमिका निभानी चाहिए। यहां तक कि कार्यपालिका व प्रशासन को भी इन कार्यो को करने का आदेश दे सकती है

वर्तमान समय में सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार का है। आजादी के समय कार्यपालिका में भ्रष्टाचार के बीच अकुंरित नहीं हुए थे, क्योंकि जिस पीढ़ी के हाथ में कार्यपालिका की भाक्ति थी। वे आजादी की लड़ाई लड़े थे। तथा अपने कर्वव्यों को भंलि–भांति जानते थे। उस समय कार्यपालिका से जुड़े लोगों को जनता की सेवा में पूरा विश्वास था। धीरे–धीरे कार्यपालिका से जुड़े लोगों में भ्रष्टाचार के बीज अंकुरित होने लगे तथा नौकरशाही व अफशरशाही ने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । ऐसी स्थिति में एक मात्र आशा की किरण न्यायपालिका थी।

आम जनता भी उम्मीदें न्याय के प्रति तब ज्यादा बढ़ी जब न्यायपालिका ने इमरजेंसी के बाद एक कांतिकारी कदम उठाया और न्यायलय में जनहित याचिका दायर करने का प्रावधान किया। न्यायपालिका ने बड़ी त्तपरता से जनहित याचिकाएं सुनी और पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान किया। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आर के सैनी कहते हैं – ''न्यायाधीश हमेंशा से राजनीति में व्याप्त जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूक रहे हैं। नेताओं और अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्होंने ध्यान से सुना है, और फिलहाल ऐसे ही मामलें निपटारे के लिए ज्यादा आ रहे है।''

सर्वोच्च न्यायलय ने यह स्पष्ट कर दिया कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायलय के समक्ष 'वाद' कर सकता है। न्यायलय अपने सारे तकनीकी तथा कार्य–विधि संबंधी नियमों की परवाह किये बिना उसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। न्यायधीश **कृष्णा अय्यर** के अनुसार 'वाद कारण' और 'पीड़ित व्यक्ति' की संकुचित धारणा का स्थान अब ' वर्ग कार्यवाही' 'लोकहित में कार्यवाही ने ले

* सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र शासकीय कन्या महाविद्यालय बलौदा बाजार जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)
** प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र शा.डी.के. स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलौदा बाजार जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)

लिया है। जनहित मैं सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल मैं बन्दी न रखा जाये' यदि उस पर मुकदमा चलाने 18 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित मैं चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया है ।

इसी प्रकार **''बन्धुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार''** विवाद मैं सर्वोच्च न्यायालय ने **''बन्धुआ मुक्ति मोर्चा''** संस्था के पत्र को रिट मानकर हरियाणा राज्य के फरीदकोट जिले की पत्थर खानों मैं काम करने वाले मजदूरों की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग ानियुक्त किया और आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट मैं कहा कि ''श्रमिक अमानवीय दशा मैं कार्यरत हैं '' तब न्यायालय ने इन मजदूरों की मुक्ति के आदेश दिये। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने शासन को निर्देश दिया कि वह विवाद मैं ''निर्बल पक्षकार'' को कानूनी सहायता प्रदान करें, अन्यथा उसके लिए अदालत की समस्त कार्यवाही ''अन्याय का प्रतीक'' बनकर रह जायेगी।

न्यायिक सक्रियतावाद का एक रूप और प्रयोजन शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियन्त्रण है । संविधान और कानूनों के अन्तर्गत उच्च कार्यपालिका अधिकारियों को कुछ''स्वविवेकीय शक्तियॉं'' प्रदान की गई हैं । इन स्वविवेकीय शक्तियों का औचित्य हो सकता है , लेकिन व्यवहार मैं देखा गया कि कार्यपालिका अपनी इन स्वविवेकी शक्तियों के आध ाार पर स्वेच्छाचरिता का मार्ग अपना लेती है । इस पृष्ठभूमि मैं न्यायिक सक्रियता के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रतिपादन किया कि विवेकात्मक शक्तियों के अन्तर्गत सरकार की कार्यवाही विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाय वह कार्यविधि भी विकेक सम्मत, उत्तम तथा न्यायपूर्ण होनी चाहिए ।

1993—2002 ई. के वर्षों मैं तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने न्यायिक सक्रियता के आधार पर समस्त राजनीतिक व्यवस्था मैं पहले से बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त कर ली । इन न्यायालयों ने जब यह देखा कि जांच एजेन्सियों उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरूद्ध जांच कार्य मैं ढिलाई बरत रही है तब न्यायालयों ने विभिन्न जांच ऐजेन्सियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के लिए निर्देश दिये और इस बात का प्रतिपादन किया कि **''व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून उससे ऊपर ''** है तथा सरकारी एजेन्सी को अपना कार्य निष्पक्षता के साथ करना चाहिए । भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों मैं तो न्यायालयों ने जांच की निगरानी का कार्य भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने हाथ मैं ले लिया । दिल्ली उच्च न्यायालय ने ''झारखण्ड मुक्ति मोर्चा '' मामले की जांच के लिए न्यायालय अधिकारियों के रूप मैं सी.बी.आई. की नई टीम को नियुक्त किया । इसी प्रकार पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति झा और मुखोपाध्याय की खण्डपीठ ने सी.बी.आई. के निदेशक जोगिन्दर सिंह को जांच से दूर रहने और ''चारा घोटाले'' की जांच मैं किसी भी तरह से दखल न देने का निर्देश दिया । ये ऐसी स्थितियां थीं, जिनके संबंध मैं इस सदी के नवें दशक तक सोचा भी नहीं जा सकता था ।

इससे आगे बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम 1996 मैं प्रधानमंत्री को निर्देश दिया कि वे कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद को हल करने के लिए प्रयत्न करें । 1998 मैं पुनः भासन को यह निर्देश ''तीन सप्ताह की समय—सीमा'' निश्चित करते हुए दिया गया। पिछले दस वर्षों मैं न्यायालयों ने शासन को कानून और व्यवस्था बनाये रखने, प्राथमिक शिक्षा संबंधी संविधान के प्रावधान को अनिवार्य रूप से लागू करने, बाल श्रम को समाप्त करने, बस दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से व्यवस्था करने, सफाई की व्यवस्था कर महामारियों की रोकथाम करने, सरसों के तेल मैं मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने और पर्यावरण की रक्षा, आदि के प्रसंग मैं समय—समय पर अनेक निर्देश —आदेश दिये हैं ।

न्यायपालिका की सक्रियता विगत वर्षों मैं काफी बढ़ी है । न्यायपालिका की इस सक्रियता के फलस्वरूप जहां एक ओर विगत वर्षों मैं कुछ महत्वपूर्ण एवं त्वरित फैसले हुए, वही दूसरी ओर इसकी सक्रियता बुद्धिजीवियों के बीच चर्चा और विवाद का केन्द्र भी बनी। गत वर्ष जनहित याचिकाओं पर दिये गये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आमतौर पर देश मैं व्यापक स्वागत किया गया किंतु कुछ बुद्धिजीवी एवं विधिवेता न्यायपालिका की इस सक्रियता को देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य मैं हुए ह्रास का लक्षण मान रहे हैं । न्यायपालिका की भूमिका को देखते हुए लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ''कहीं हमारी संसदीय प्रणाली के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लग जायेगा, या फिर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कहीं न्यायिक अधिनायकवाद का वर्चस्व को स्थापित नहीं हो जावेगा । '' किन्तु यह भी सत्य है कि न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप एक और जहॉ आम जनता मैं न्यायपालिका की लोकप्रियता बढ़ी , वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका और उसके अधिकार विवादों के केन्द्र बन गये । अतः न्यायपालिका की वर्तमान सक्रियता को सकारात्मक रूप मैं लिया जाना चाहिए, न कि इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इस संबंध ा मैं कोई विवाद खड़ा किया जाना चाहिए । सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप से किसी मामले मैं न्यायालय को घसीट कर न तो कार्यबोझ बढ़ाए, और न ही अपने दायित्व से मुख मोड़े ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजनीतिक सिद्धांत — विचार एवं संस्थाएं लेखक अमल राय, मोहित भट्टाचार्य — 1995
2. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लेखक — मनोज कुमार — 1995
3. भारत मैं न्यायिक पुनरावलोकन लेखक — ज्योति जैन
4. भारत का संविधान — एक परिचय — छठा संस्करण लेखक — दुर्गादास बसु, 1995
5. राजनीति विज्ञान — फुखराज जैन 2002 पृष्ट — 262, 263
6. गोविन्द दास — 1989
7. राष्ट्रीय सहारा — हिन्दी दैनिक, नई दिल्ली 11 दिसंबर 1995
8. —वही— —वही— —वही— 14 मार्च, 1996
9. —वही— —वही— —वही— 2 मार्च, 1996
10. प्रतियोगिता किरण—मासिक, मार्च 1996
11. प्रतियोगिता टापर्स — मासिक, मार्च 1996